

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)

ई-मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269

क्रमांक : एफ 2(4)/राप्रनिम/उदय./

दिनांक :

-: खुली बोली हेतु नीलामी हेतु नियम एवं शर्त :-

1. बोली दाता के पास इस प्रकार की सामग्री के एकत्रीकरण एवं निस्तारण करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल/वायु अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वैध सम्मति पत्र एवं E-Waste Rules के तहत प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र का होना अनिवार्य है, इसके अभाव में बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
2. नीलामी स्थल पर प्रत्येक बोली लगाने वाले E-Waste recyclers/Processing units को बोली लगाने से पहले उल्लेखित 02 प्रतिशत धरोहर राशि नकद या डीडी (जो कि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भुगतान योग्य उदयपुर के नाम हो) के रूप में जमा करानी होगी।
3. बोलीदाता को E-Waste recyclers का जल/वायु अधिनियम क प्रावधानों के अन्तर्गत वैध सम्मति पत्र एवं E-Waste Rules के तहत प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र, पेनकार्ड एवं आई. कार्ड की छाया प्रतियां बोली से पूर्व जमा करानी होगी।
4. असफल बोली लगाने वालों को उक्त धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के बाद या बोली लगाने वाला जब इसे वापस लेना चाहे, लौटा दी जावेगी। सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में धरोहर राशि उसके द्वारा देय अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि के विक्रय मूल्य में समायोजित कर ली जावेगी।
5. एक बार बोली समाप्त होने पर अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि के बारे में कोई शिकायत विचारार्थ स्वीकार नहीं की जावेगी और ना ही बोली लगाने वाला अपनी बोली वापस ले सकेगा।
6. उच्चतम बोलीदाता को सम्पूर्ण बोली राशि मय जी.एस.टी. बोली समाप्ति पश्चात उसी दिवस को डी.डी. के रूप में जो कि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भुगतान योग्य उदयपुर के नाम से हो जमा करवानी होगी एवं सामान को भी उसी दिन उठाना होगा।
7. बोली समाप्ति पश्चात उसी दिवस में राशि जमा नहीं करवाने पर 1000/- रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना देय होगा।
8. अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि सामग्री जहाँ है, जैसा है उसी हालात में नीलाम किया जावेगा। अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित इस सामग्री को नीलामी के पश्चात उसमें किसी नुकसान या कमी के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर उत्तरदायी नहीं होगा।
9. विक्रय मूल्य के अतिरिक्त सरकार द्वारा नियमानुसार, अधिरोपित समस्त करों (जीएसटी आदि) का भी भुगतान सफल बोलीदाता के द्वारा किया जावेगा।
10. राज्य मण्डल का कोई भी वर्तमान एवं पूर्व कार्मिक बोली में भाग नहीं ले सकेगा।
11. बिना कारण बोली स्वीकार करने या अस्वीकार करने, बोली को स्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
12. उक्त शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी सन्देह का समाधान/खुलासे हेतु नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
13. इच्छुक बोलीदाता नीलामी तिथि से पूर्व यदि सामान का अवलोकन करना चाहे तो कार्यालय समय में भण्डारपाल से सम्पर्क कर अवलोकन कर सकते हैं।
14. इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार उदयपुर होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर

आगामी नोटिस निम्नलिखित स्थानों पर चस्पा कर सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय सम्भागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर -सम्भाग, उदयपुर।
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्टर महोदय, जिला उदयपुर।
3. कार्यालय नोटिस बोर्ड, रा. प्र. नि. मं. उदयपुर।

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर